



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 01.07.2025

1.थाना फेस-2 पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हीरे की अंगूठी बरामद

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 01.07.2025 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वादी के घर में मेड का कार्य करते हुए हीरे की अंगूठी चोरी करने वाली वांछित अभियुक्ता मीरा कुमारी पुत्री ब्रह्मदेव को सिटी पार्क सेक्टर-93 नोएडा के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से चोरी की गयी हीरे की अंगूठी बरामद की गयी है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्ता द्वारा वादी के घर में मेड का कार्य करते हुए वादी की पत्नी की हीरे की अंगूठी चोरी कर ली गयी थी। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना फेस-2 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्ता वांछित चल रही थी।

पूछताछ का विवरण--

1. अभियुक्ता द्वारा घरों में मेड का कार्य करके सोसाइटी में ऐसे घरों को टारगेट किया जाता था जहां से आसानी से कीमती सामानों की चोरी की जा सके।
2. इसी प्रकार अभियुक्ता द्वारा वादी के घर में काफी समय से मेड का कार्य कर वादी व वादी की पत्नी का विश्वास जीत, मौके का फायदा उठाकर घर में रखी हीरे की कीमती अंगूठी को चोरी करके फरार हो गयी थी।
3. अभियुक्ता ने वादी की पत्नी की हीरे की कीमती अंगूठी को चोरी करने के उपरान्त बिना बताए वादी के घर से मेड का कार्य छोड़ दिया था।
4. अभियुक्ता द्वारा चोरी करने के पश्चात् अपना मोबाइल नम्बर बदल लिया गया ताकि पुलिस की पकड़ में ना आ सके।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

1. मीरा कुमारी पुत्री ब्रह्मदेव निवासी गांव मधुबन, थाना राजेपुर, मुजफ्फरपुर (बिहार) वर्तमान पता अग्रसेन कॉलोनी, सिरसा (हरियाणा) उम्र करीब 21 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 10वीं

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 302/2025 धारा 306/317(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की हीरे की अंगूठी।